संख्या-2022 /9-8-2025-10ज/2023टी०सी०

प्रेषक,

अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
2.समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
3.समस्त पशु कल्याण अधिकारी, नागर निकाय, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊः दिनांक 10 सितम्बर, 2025**

विषयः- प्रदेश के समस्त नागर निकायों में आक्रामक श्वानों के प्रबंधन हेतु दिशा-निर्देश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश के नागर निकायों में संचालित ए0बी0सी0/डॉग केयर सेंटर निम्नवत् दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. यदि किसी निराश्रित श्वान द्वारा किसी व्यक्ति को काटा गया हो और उस व्यक्ति ने सरकारी चिकित्सा संस्थान में उपचार कराया हो व एंटी-रेबीज़ टीकाकरण (Post Exposure Prophylaxis) प्राप्त किया हो, तो ऐसे श्वान को कार्यदायी संस्था द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के नियम 16 के अंतर्गत 10 दिनों तक ABC केंद्र में रखा जाय।
2. यदि ऐसे निराश्रित श्वान का बंध्याकरण नहीं हुआ है तो प्राथमिकता के आधार पर उसकी शल्य चिकित्सा सुनिश्चित की जाएगी व रेबीज रोधी टीकाकरण किया जाएगा। पशुचिकित्सक द्वारा 10 दिनों तक लगातार उसके स्वास्थ्य तथा व्यवहार को फॉर्म-ए के निर्धारित प्रारूप पर दर्ज किया जाएगा।
3. ऐसे श्वान को छोड़ने (रिहा करने) से पूर्व उसका माइक्रोचिपिंग अनिवार्य होगा, साथ ही काटने की घटना का पूरा विवरण ABC केंद्र के अभिलेख में दर्ज किया जाएगा।
4. यदि वही श्वान दूसरी बार किसी को काटता है, तो एक तीन-सदस्यीय समिति जिसमें जिला SPCA के गैर सरकारी सदस्य, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि व स्थानीय पशु-चिकित्साधिकारी होंगे, के द्वारा यह जाँच की जाएगी कि श्वान द्वारा पुन: काटे जाने की घटना अप्रेरित (unprovoked) है अथवा नहीं। माइक्रोचिप की सहायता से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी श्वान द्वारा काटे जाने की दूसरी घटना घटित हुई है अथवा नहीं।
5. यदि श्वान द्वारा दूसरी बार काटने की घटना अप्रेरित (unprovoked) पाई जाती है, तो ऐसे श्वान को आजीवन ABC केंद्र में रखा जाएगा।
6. यदि कोई व्यक्ति ऐसे श्वान को गोद लेना चाहता है, तो उसका नाम, पता और पहचान विवरण माइक्रोचिप अभिलेख ABC सेंटर के अभिलेखों में दर्ज करते हुए, गोद लेने वाले व्यक्ति से इस आशय का लिखित शपथ-पत्र ले लिया जाये कि इस श्वान को दोबारा सड़कों पर नहीं छोड़ेगा, अन्यथा उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

संलग्नक: फॉर्म-ए

भवदीय,

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, विभाग/पशुपालन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव), नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
3- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- निदेशक, पशुपालन विभाग को समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के अनुपालनार्थ।
5- आवास आयुक्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
6- समस्त उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, उ0 प्र0।
7- डॉ एम0ए0 अंसारी, अपर निदेशक(पशु कल्याण), स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।
8- समस्त पशु कल्याण अधिकारी, नगर निगम/नगर पालिका परिषद, उ0प्र0।
9- समस्त अनुभाग नगर विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
10.09.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Form A

Date _______Tag No. ________ABC Centre __________ Kennel No._____

Sterilised: Yes/No Vaccination status: ___________

Health condition of dog ____________________________________

Behaviour: Approachable/Fearful/Reactive

Detailed observation: ______________________________________

Video record: Available/Unavailable _____________________________

(Name & signature of treating veterinarian)